


22/12/2020 पत्रावली भाग चेरा दुर्ग । अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट वकील उपस्थित । अपीलाण्ट द्वारा उक्त शर्चना पत्र एवं सैलबन दस्तावेज, रेस्पोंडेण्ट के जवाब का अध्ययन कर मनन किया । अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट वकील की बहस तर्कों पर मनन किया । अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रूवशन अपील राजस्व रेकॉर्ड में पुरानी भूमि में तमाम वारीदान के नामान्तरकरण के अनुरूप रज्जान से संबंधित है, जिनकी जानकारी अपीलाण्ट्स को उक्त भाराजी के राजस्व रेकॉर्ड की जकले लेने पर दिनांक 08.02.2020 को दुर्ग । अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश में रहे वाली धनपठ महिला हैं । व ग्राम पंचायत चारवाग द्वारा नामान्तरकरण संख्या 168 स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक आपस सिद्धांत के विपरीत है । ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को अपील पैरा करने में हुए विलम्ब को उक्त कारणों से क्षम्य कर अपील को अंदर ग्याद शर्भार किया जाना आपसंगत होने से विलम्ब को क्षम्य कर अपील को अंदर ग्याद शर्भार किया जाना है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट का शर्चना पत्र स्वीकार किया जाना है । पत्रावली में शर्भार लेकर नम्बर से कम हो । निष्पत्त सरे मजबास सुनाया गया ।



उपस्थित अधिकारी

...वाडा जिला-जालोर